JAN-29-13 16:05 TEL: P:01

FAX

संख्या 55/54-1-13/1(01)/2010

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी,**
(जनपद-गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, शामली एवं कासगंज को छोड़कर)

2. **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश, लखनऊ।

3. **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ (समादेश बन्धु) दिनाँक 29 जनवरी, 2013

विषय- **साइंस एवं टेक्नालॉजी इण्टरप्रीनियर्स पार्क हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर से समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) में प्रशिक्षण कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 828/54-1-12/01(01)/2010 दिनांक 17 नवम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा एच.बी.टी.आई., कानपुर को समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्य हेतु चयनित पैनेल में सम्मिलित करते हुए नामित किया गया है।

उक्त संस्था के निदेशक प्रो0 आर0के0 त्रिवेदी के पत्र संख्या 4673/STEP-HBTI/2011 दिनांक 17.08.2012 के साथ प्रशिक्षण के लिए संस्था के द्वारा कराये जाने वाले तकनीकी विषयों की सूची एवं क्षमता का चार्ट संलग्न किया गया है। जल संग्रहण समितियों में गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा चयनित ऐसे कार्यक्रम जो कम्प्यूटर (एमएस आफिस एण्ड इन्टरनेट), बेकरी, दुपहिया वाहनों की रिपेयरिंग, मोटर बाइन्डिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्रेस मेकिंग, रेडीमेड गारमेन्ट्स, ब्यूटी केयर/ब्यूटीशियन से सम्बन्धित हों अथवा सूक्ष्म उद्यम (Micro-Enterprises) के तहत किसी लाभार्थी द्वारा चयन किया गया हो, को इस संस्था से प्रशिक्षित कराया जाना उपयोगी होगा।

संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की संलग्न सूची उपलब्ध कराते हुए आपसे अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि वाटरशेड परियोजनाओं में चयनित संलग्न सूची के तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण मात्र ही साइंस एवं टेक्नालॉजी इण्टरप्रीनियर्स पार्क-हरकोर्ट बटलर टेक्नालॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, से कराया जाय।प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित संस्था को आदेश निर्गत करने से पूर्व चयनित कार्यों की विषयसूची, अनुसूची,दर एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आदि का पूर्ण विवरण

डब्ल्यूसीडीसी के माध्यम से एसएलएनए को उपलब्ध कराया जाएगा तथा संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए की संस्तुति प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षण कार्य हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि ।

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक 55 (1)54–1 -13 / 1(01) / 2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. समस्त उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0
3. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
4. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, 23सी, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट http://upldwr.up.nic.in/ पर अपलोड कर दें।

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी